संख्या-64/2016/786/26-3-2016-10(1)/2008

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 31 मार्च, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूपया 1.00 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के छात्र/छात्राओं को विभिन्न आयोगो व संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली अधिकारी ग्रेड की परीक्षाओं तथा व्यवसायिक पाठयक्रमों मे प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-40/2015/1078/26-3-2015-10(01)/2008, दिनांक-12.05.2015 के क्रम में आपके पत्र संख्या-1688/स0क0/विकास/कोचिंग-37/2015-16, दिनांक-28.01.2016 एवं पत्र संख्या-857/स0क0/विकास/कोचिंग-37/2015-16, दिनांक-06.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, जिसके अधीन अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष की प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित आय-सीमा वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-100.00 लाख (रू0-एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवशेष धनराशि रू0-50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-द्वितीय किश्त की स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि का शतप्रतिशत उपभोग कर लिया गया है। तदोपरान्त द्वितीय किश्त की स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचेगी तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तत्काल विभागीय प्राप्ति मद के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराते हुये सूचना महालेखाकार, उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का भुगतान नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों के आय/जाति प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन के उपरान्त उन्हीं संस्थाओं को किया जायेगा, जिनसे संबंधित समस्त अभिलेख नियमानुसार पूर्ण हैं तथा चेक कर लिये गये हैं। उक्त भुगतान योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-836/26-3-2009-10(1)/2008, दिनांक-24.02.2009 में किये गये प्राविधानों के अनुसार ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त तथा स्वयं संतुष्ट होते हुए किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-उक्त धनराशि निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर नियमानुसार योजना के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को पूर्ण कराते हुए योजनान्तर्गत चयनित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कोचिंग संस्थाओं तथा लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों को दी जाने वाली धनराशि उपयोगितानुसार व्यय की जायेगी। वित्तीय नियमों/प्राविधानों तथा शासन द्वारा निर्धारित मितव्ययिता एवं पारदर्शिता के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(5)-स्वीकृति धनराशि के व्यय/उपयोग के संबंध में उपभोग प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेंशन सर्टीफिकेट) नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-64/2016/786(1)/26-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5.वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
6.राज्य योजना आयोग-1/2
7.निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग।
9.गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in